

दिल्ली सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली
कार्यालय महानिदेशक (कारागार) : दिल्ली

कारागार मुख्यालय : नियर लाजवन्ती गार्डन चौक, जनकपुरी : नई दिल्ली -64

अपीलकर्ता : श्री नरेन्द्र मीणा पुत्र श्री राम अवतार
आर.टी.आई कम्प संख्या : 10766- डी दिनांक 10/04/2023
अपील कम्प संख्या : 34 दिनांक 23/05/2023

आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारियों के द्वारा प्रदान किये गये ज्ञापन और प्रथम अपील का अवलोकन किया।

अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने बताया है कि जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या-2, 4, 8/9 से 15 द्वारा प्रश्न संख्या- 7 व 8 के लिए सूचना प्रदान नहीं की गई है व जन सूचना अधिकारी, कारागार संख्या- 7 तथा जन सूचना अधिकारी, पी०डब्ल्यू० से कोई भी ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि, जन सूचना अधिकारी, कारागार संख्या- 3 के द्वारा प्रदान किया गया ज्ञापन संतोषजनक नहीं है। इसके अलावा जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार मुख्यालय द्वारा प्रश्न संख्या-9 की जानकारी नहीं दी गई है।

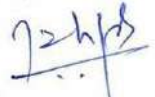
उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि प्रश्न संख्या- 7 व 8 के संबंध में ज्ञापन जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार मुख्यालय, तिहाड़ द्वारा प्रदान किया जा चुका है तथा प्रश्न संख्या- 9 की सूचना भी अपीलकर्ता को उनके द्वारा दायर आर.टी.आई. पत्र आई०डी० संख्या-10732 सी दिनांक 31.03.2023 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक कारागार संख्या-3 के द्वारा दी गई सूचना संतोषजनक है। जबकि जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक कारागार संख्या-7 द्वारा समय पर सूचना प्रदान की गई है।

जन सूचना अधिकारी, पी०डब्ल्यू०, तिहाड़ जेल कॉम्पलैक्स से संबंधित सूचना के लिए अपीलकर्ता को संबंधित अपील अधिकारी के समक्ष आवेदन करना चाहिए।

उपरोक्तानुसार, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक कारागार संख्या-7 को आदेश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर ज्ञापन की एक प्रति अपीलकर्ता को पुनः प्रदान करें। इसके अलावा किसी और ज्ञापन में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।


उप महानिरीक्षक कारागार /
प्रथम अपीलीय अधिकारी १/८

श्री नरेन्द्र मीणा पुत्र श्री राम अवतार

F10(3476489)/ID-10766-D/CJ/Legal/2023/39366/4242-54 Dated: 19/06/2023

आवश्यक सूचना/कार्यवाही के लिए प्रतिलिपि:-

1. जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-2, 3, 4, 7, 8, 10 व 11 से 15.
2. जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-(प्रथम), कारागार मुख्यालय, तिहाड़, नई दिल्ली.